

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूँ।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बदायूँ परिसर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ठेका कैन्टीन, ठेका चना-चबैना, ठेका फल जूस, ठेका चाट की सार्वजनिक नीलामी होना है।

अतः ठेका कैन्टीन, ठेका चना-चबैना, ठेका फल जूस एवं ठेका चाट की खुली बोली के द्वारा सार्वजनिक नीलामी दिनांक 24/03/2025 को सार्यकाल 4:30 बजे से 5.30 बजे जनपद न्यायालय बदायूँ के केन्द्रीय सभागार में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

नीलामी की शर्तें निम्नवत हैं-

1. किसी भी ऐसे व्यक्ति को नीलामी में बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा, जिस पर पिछले किसी भी ठेके का बकाया धन शेष हो।
2. प्रत्येक बोलीदाताओं को रू0 2000/- (दो हजार रुपये) धरोहर राशि के रूप में बोली आरम्भ होने से पूर्व नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा जमा यह धनराशि बोली समाप्ति के उपरान्त बोलीकर्ता को लौटा दी जावेगी।
3. सर्वोच्च बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली समाप्ति के उपरान्त आधी धनराशि नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त बोली की स्वीकृति की संस्तुति की जायेगी। बोली स्वीकृति होने के उपरान्त अधिकतम एक माह के अन्दर शेष आधी धनराशि जमा करनी होगी। इस शेष आधी धनराशि को किरस्तों में वितरण करने का व समय निर्धारित का विवेकाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश बदायूँ को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश के अन्यथा आदेश के अधीन उक्त शेष आधी धनराशि जमा न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा शेष धनराशि एकमुश्त जमा करा ली जायेगी।
4. ठेका लेने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को ठेका हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो ठेका निरस्त कर शेष धनराशि एकमुश्त जमा करयी जायेगी।
5. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अंकन रू0 100 (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पर मय नवीतम फोटो के अनुबंध करना होगा कि वह सभी शर्तों का पालन करेगा।
6. किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को होगा।
7. ठेका स्वीकृति व अनुमोदित होने के उपरान्त भी किसी भी समय अवैधानिक शर्तों के विपरीत कार्य पाये जाने पर माननीय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त करने का विवेकाधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. अपरिहार्य परिस्थितियों में नीलामी तिथि को स्थगित करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

उक्त ठेका नीलामी के सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी दिवस से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 4:30 बजे के मध्य केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बदायूँ में सम्पर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

(सुयश प्रकाश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /
प्रथम अपर जिला जज, बदायूँ।

प्रतिलिपि:-सहायक नाजिर को निम्नलिखित सूचनापटो पर चस्पा करने हेतु प्रेषित:-

1. कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, बदायूँ।
3. कार्यालय तहसीलदार, सदर, बदायूँ।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद, बदायूँ।
5. रोडवेज, बदायूँ।
6. रेलवे स्टेशन, बदायूँ।
7. जिला अस्पताल, बदायूँ।
8. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) नेट पर अपलोड करने हेतु।
9. शहर अमीन को सूचनार्थ।
10. निर्देशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ (प्रकाशन देत)।

(सुयश प्रकाश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज बदायूँ।